बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) अधिनियम, 1955

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1956)

THE BENGAL, AGRA AND ASSAM CIVIL COURTS (EXTENSION TO OUDH) ACT, 1955

(U.P. Act No. 2 of 1956)

बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) अधिनियम, 1955[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1956]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 19 सितम्बर, 1955 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 21 नवम्बर, 1955 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 4 जनवरी, 1956 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 11 जनवरी, 1956 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 के कतिपय उपबन्धों का अवध में प्रसार[2] करने की व्यवस्था करने का

अधिनियम

यह इष्टकर है कि उन क्षेत्रों में, जहां अवध कोर्ट्स ऐक्ट, 1925 लागू होता है बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 के कतिपय उपबन्धों का प्रसार[2] करने की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) अधिनियम, 1955 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

ऐक्ट 12, 1887 का अवध में प्रवृत्त होना

2–इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की:

(क) धाराएं 3, 4, 6, 8, 9 से 11 तक, 13 से 25 तक, 38 तथा 39; और

(ख) धारा 40 [इस संशोधन के साथ कि उपधारा (1) में संख्यायें 32 और 37 निकाल दी जायेंगी।]

(जैसी कि वे उत्तर प्रदेश में अपने लागू होने के संबंध में समय–समय पर संशोधित हुई है) उन क्षेत्रों में लागू होंगी जहां अवध कोर्ट्स ऐक्ट, 1925 लागू होता है तथा अवध कोर्ट्स ऐक्ट, 1925 के तत्स्थानी उपबन्ध तदनुसार निरस्त हो जायेंगे।

यू0 पी0 ऐक्ट 4, 1925 के अधीन न्यायालयों आदि की स्थापना

3–अवध कोर्ट्स ऐक्ट, 1925 के अधीन स्थापित अथवा संघटित समस्त न्यायालय और की गयी नियुक्तियां, किये गये नाम निर्देशन तथा बनाये गये नियम और दी गयी आज्ञायें, एवं प्रदत्त अधिक्षेत्र तथा अधिकार और प्रकाशित सूचियां बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887, जैसा कि वह अवध में लागू होगा, के उपबन्ध के अधीन क्रमशः स्थापित, संघटित की गयी, किये गये, बनाये गये, दी गयी, प्रदत्त तथा प्रकाशित समझे जायेंगे।

विचाराधीन वाद अथवा कार्यवाहियां

4–इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अवध कोर्ट्स एक्ट, 1925 के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय में संस्थित (instituted) अथवा आरब्ध सभी वाद और कार्यवाहियां, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के निरस्त हो जाने पर भी, उसी न्यायालय में जारी रखी जायेंगी, जहां वे संस्थित अथवा आरब्ध की गयी थीं अथवा जहां वह स्थानान्तरित कर दी गयी थीं, उसी प्रकार मानो वे बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय में संस्थित, आरब्ध हुई हों।

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये 30 अगस्त, 1955 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।
2. युनाइटेड प्राविंसेज हाईकोर्ट्स (एमलगमेशन) आर्डर, 1948 के प्रस्तर 3 द्वारा नियत दिनांक (26 जुलाई, 1948) से इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा अवध चीफ कोर्ट का समामेलन हाईकोर्ट आफ जूडीकेचर इलाहाबाद के रूप में हुआ।

विचाराधीन अपीलें तथा अन्तः कालीन उपबन्ध

5–उस दशा में जब बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 की धारा 21 के उपबन्धों के अवध में लागू होने के कारण अब कोई अपील हाई कोर्ट में प्रस्तुत होने के बजाय डिस्ट्रिक्ट जज को प्रस्तुत की जा सकती हो तो––

(क) किसी ऐसी अपील की, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व हाई कोर्ट में संस्थित अथवा आरब्ध हो चुकी हो, उक्त उपबन्धों के लागू होते हुए भी, सुनवाई और उस पर निर्णय हाई कोर्ट द्वारा ही होगा;

(ख) कोई अपील जो इस प्रकार संस्थित अथवा आरब्ध न हुई हो, किन्तु जिसके संबंध में कालावधि (Period of limitation) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व संचारित होने लगी हो (begun to run) इस उपबन्ध के होते हुए भी कि अब वह डिस्ट्रिक्ट जज को प्रस्तुत की जा सकेगी, उसी कालावधि से नियमित होती रहेगी, जो अपील के हाई कोर्ट में प्रस्तुत किये जाने की दशा में उपलब्ध होती।

6–इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अवध कोर्ट्स ऐक्ट, 1925 के अधीन संघटित अथवा स्थापित किसी न्यायालय द्वारा पारित सभी आज्ञप्तियां (decrees) तथा दी गयी आज्ञायें निष्पादन के प्रयोजनों के लिये बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1887, जैसा कि वह अवध में प्रसारित हुआ है, के अधीन संघटित और स्थापित, अथवा संघटित और स्थापित समझे गये, तत्स्थानी न्यायालय द्वारा पारित अथवा दी गयी समझी जायेगी।